

संख्या-284 / एक-10-2021-33(221) / 2011 टीसी-4

प्रेषक,
संजय गोयल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर एवं औरैया।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 15/02/2021

विषय:- कोविड-19 से बचाव एवं जागरूकता हेतु पी०ए०एस० (Public Address System) स्थापित करने के लिये धनराशि का आवंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-785/एक-11-2020, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 द्वारा कोविड-19 की रोकथाम, बचाव एवं उपचार के संबंध में जन जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर एवं जनपद की सभी तहसील कार्यालय परिसर में पी०ए०एस० (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) स्थापित किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव एवं शासनादेश संख्या-798/एक-11-2020-रा०-11, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में **रु० 3,16,000/- (रु० तीन लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रु० में

क्र० सं०	जनपद	पी० ए० सिस्टम स्थापित किया जाना जहां अवशेष है		कुल रु थापित किये जाने वाले पी० ए० सिस्टम की संख्या	जनपद को आवंटित धनराशि रु० 35000/- प्रति सिस्टम जीएसटी सहित
		जिलाधिकारी कार्यालय परिसर	तहसील कार्यालय परिसर		
1	2	3	4	5	6
1	सिद्धार्थनगर	1	5	6	2.10

2	औरैया	1	3	4	1.06
	योग	2	8	10	3.16

(रु० तीन लाख सोलह हजार मात्र)

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/ वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा।
- (2) उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों तथा अच्छे ब्रांड/कम्पनी के होने चाहिए। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए०एम०सी०/सी०एम०सी० भी करायी जायेंगी।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये

और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
Digitally signed by संजय
गोयल
Date: Mon Feb 15 18:28:21 IST
2021
Reason: Approved
(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या-284 (1)/एक-10-2021-33(221)/2011 टीसी-4 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 4- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।